रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218708
CG-DL-E-17032020-218708

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2020/फाल्गुन 19, 1941
No. 920] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2020/PHALGUNA 19, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2020

का.आ. 1025(अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 381(अ), दिनांकित 24 जनवरी, 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30 [पूर्ववर्ती रारा सं. 12ए] के डिजाइन किमी 191.422 से डिजाइन किमी 242.300 (म. प्र. सीमा चिल्पी से कवर्धा खंड) तक खंड को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30 [पूर्ववर्ती रारा सं. 12ए] के डिजाइन किमी 191.422 से डिजाइन किमी 242.300 (म. प्र. सीमा चिल्पी से कवर्धा खंड) तक के 48.620 किमी (पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन उपयोग हेतु) निवल सडक खंड के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विर्निदिष्ट यांत्रिक वाहनों पर फीस आधार दर के 60% और 2.258 किमी (चार लेन उपयोग के लिए) आधार दर के 100% पर निवल सडक खंड लंबाई के लिए तालिका 1 में विनिर्दिष्ट आधार दर से उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
छत्तीसगढ़ राज्य के कबीररधाम जिले में मुडियापाढ़ा पर रारा-30 [पुराना रारा सं. 12ए] के डिजाइन किमी 225.942 पर	48.620 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	2.258 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2019-20 के लिए 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य दस गुणा फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी ।

7. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी ।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 291.05 करोड़ रु. है । [चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राप्त होने वाली प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और उक्त नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी ।

[फा. सं. आरओ/एनएच-12ए-सीएचएच-एनएचडीपी-IV-2015-16-21]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2020

S.O. 1025(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 381 (E) dated 24th January 2019, issued under Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from design Km 191.422 to design Km 242.300 (M.P. border Chilpi to Kawardha Section) of National Highway number 30 (erstwhile NH no.12A) in the state of Chhattisgarh to the State Government of Chhattisgarh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 60% of base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 48.620 km (for the use of two lane with paved shoulders) & 100% of base rates for the net road length of 2.258 km (for the use of four Lane) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of M.P.border Chilpi to Kawardha Section, from design km 191.422 to design km. 242.300 (existing km 191.422 to km 242.304) of National Highway number 30 (old NH no.12A) in the state of Chhattisgarh and authorises the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the Toll Plaza for net road length specified for such Fee Toll Plaza namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 225.942 of NH-30 (old NH no.12A), at village-Mudiyapara, Kabirdham District of (Chhattisgarh)	48.620 km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	2.258 km	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs.265 (Rupees Two Hundred Sixty-Five Only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-3

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 291.05 Crores. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RO/NH/CG/12A-CHH-NHDPIV-2015-16-21/]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.17 15:48:08 +05'30'